झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) ल॰सिं॰ राँची– 02/14 राँची, दिनांक –

आदेश

श्री मुद्रिका प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत) लघु सिंचाई प्रमण्डल कोडरमा, के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6046 दिनांक 10.12.2015 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी॰ के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित थे।

(1) (i) योजना सं० 58/2011 (बारा आहर गहरीकरण योजना) का पर्यवेक्षण कार्य सही तरीके से नहीं किया गया।

(ii) बिना सही प्राक्कलन एवं एकरारनामा किये गए मद में बिना सीमांकन स्वीकृत्यादेश के मापी पुस्तिका में अंकित की गयी।

(iii) अंचल अधिकारी, सतगावा कोडरमा के सीमांकन स्वीकृत्यादेश के बिना ही गहरीकरण की प्रक्रिया रैयती जमीन पर किया गया।

(iv) गहरीकरण कार्य के पूर्व रैयत को इसकी सूचना नहीं दी गयी और रैयत खतियान श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा (परिवादी) की निजी भू–भाग (खाता नं०–9 प्लॉट नं० 64 रकवा 0.20 एकड़) की गहरीकरण के कारण क्षति हुई।

(v) मिट्टी कटाव (Soil erosion) से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गयी। मिट्टी कटाव के कारण परिवादी का रैयती खतियानी भूभाग का बडाक्षेत्र सरकारी आहर में अब शामिल हो गया है।

(vi) आपके द्वारा सरकारी कार्य में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गयी, जिससे सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हुआ और योजना सं० 58/2011 असफल हुई।

2. उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं० 1(v) को छोड़कर अन्य सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 3207 दिनांक 15.06.2016 द्वारा " श्री प्रसाद को देय पेंशन से 5% की कटौती पाँच वर्षो के लिए" के प्रस्तावित दण्ड पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की पुनः समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। श्री प्रसाद द्वारा अपने बचाव में कहा गया है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा कार्य के दौरान आपत्ति/असंतोष नहीं व्यक्त करने के कारण तथा परिवादी की कटी हुई जमीन को संवेदक द्वारा मूल रूप में वापस कर दिये जाने के कारण उन्हें दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

परन्तु प्राक्कलन में Initial lead का प्रावधान नहीं रहने के बावजूद मापी पुस्तिका में भुगतान हेतु मापी दर्ज करने, कार्य के पूर्व रैयतों से अनापत्ति नहीं लेने, जमीन का चिन्हितीकरण सही ढंग से नहीं होने के कारण लगभग 20 डिसीमल रैयती जमीन की कटाई कर आहर में मिला देने आदि अनियमित कार्य के लिए श्री प्रसाद के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:–

(क) श्री मुद्रिका प्रसाद को देय पेंशन से 5% की कटौती 05 वर्षो के लिए।

4. उक्त निर्णय पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –8/ज०स०(नि०) ल०सिं० राँची– 02/14 राँची,दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/ वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निवारण कोषांग), झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कोडरमा/श्री मुद्रिका प्रसाद, सेवा निवृत कनीय अभियंता, c/o श्री देवलाल प्रसाद, ग्राम–ईचा पो०– फतेहपुर,, जिला–गया (बिहार)– 824232 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –8/ज०स०(नि०) ल०सिं० राँची– 02/14 5574 राँची,दिनांक – 09-12-16

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23.11.16

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव